

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2012—पौष 30, शक 1933

सामाजिक न्याय विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. एफ 1-02-2012-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 12 और 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

| विभाग का नाम                  | उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है                        | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है       | पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा कालावधि | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम   | पदोन्नति अभ्युक्तियों की प्रक्रिया |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| (1)                           | (2)   | (3)   | (4)                                  | (5)  | (6)                                |
| पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग. | 12. प्रशिक्षक/निर्देशक/वार्डन (उच्च वेतनमान)/फोटो कला शिक्षक. | अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह. | 5 वर्ष                               | 1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य— <b>अध्यक्ष</b><br>2. सचिव, सामाजिक न्याय— <b>सदस्य</b><br>3. आयुक्त/संचालक सामाजिक, न्याय— <b>सदस्य</b> | वरिष्ठता-सह उपयुक्तता.             |

| (1)                           | (2)  | (3)                                | (4)    | (5)  | (6)                    | (7) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--------|--|------------------------|-----|
| पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग. | 13. आक्युपेशनल थैरेपिस्ट/ फिजियोथैरेपिस्ट. | अधीक्षक, विकलांग बाधितार्थ बालगृह. | 5 वर्ष | 1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य— <b>अध्यक्ष</b><br>2. सचिव, सामाजिक न्याय— <b>सदस्य</b><br>3. आयुक्त/संचालक सामाजिक, न्याय— <b>सदस्य</b> | वरिष्ठता-सह उपयुक्तता. |     |

F-1-02-2012-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat and Social Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in schedule IV, for serial numbers 12 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

| Name of Department                       | Name of the Post from which promotion is to be made                      | Name of the post on which promotion is to be made | Minimum service period for Promotion | Name of the Members of departmental Promotion committee   | Procedure of Promotion | Remarks |
|--|--|---|--------------------------------------|---|------------------------|---------|
| (1)                                      | (2)  | (3)   | (4)                                  | (5)   | (6)                    | (7)     |
| Panchayat and social welfare Department. | 12. Instructor/ Nirdeshak Warden (Higher Pay Scale)/Photography Teacher. | Superintendent School for Mentally Retarded Home. | 5 years                              | 1. <b>Chairman</b> of Public Service Commission or Member nominated by him.<br>2. Secretary Social Justice— <b>Member</b><br>3. Commissioner/Director Social Justice— <b>Member</b> . | Seniority -cum Merit.  |         |
| —"                                       | 13. Occupation Therapist Physio Therapist.                               | Superintendent Handicapped Children Home.         | 5 years                              | 1. <b>Chairman</b> of Public Service Commission or Member nominated by him.<br>2. Secretary Social Justice— <b>Member</b><br>3. Commissioner/Director Social Justice— <b>Member</b> . | Seniority -cum Merit.  |         |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीणा तैलंग, उपसचिव.